आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

विविध आवेदन सं. 51/इंदौर/2024
(आ. अ. सं. 157/इंदौर /2023 से उद्भूत)
निर्धारण वर्ष : 2020-21

मे. रायसेन मार्केटिंग प्रा.लि., जी-2/119ए, माईलस्टोन 100 कॉम्प्लेक्स त्रिलंगा रोड, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल	बनाम	सहायक निदेशक आयकर(ADIT)-सीपीसी बैंगुलरू
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
PAN : AAFCR7050R स्था.ले.सं.- एएएफसीआर 7050आर		

निर्धारिती की ओर से :	श्री गगन तिवारी, प्राधि. प्रतिनिधि
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री के.बाला मुरली कृष्णा, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	23.08.2024
उद्घोषणा तिथि :	23.08.2024

आदेश

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए यह निर्धारिती द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 254(2) के अधीन दाखिल विविध आवेदन है, जो कि आ.अ.सं. 157/इंदौर/2023 में अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 को वापस लेने हेतु किया गया है ।

2. सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि माननीय अधिकरण द्वारा आ.अ.सं. 157/इंदौर/2023 को पारित करते समय अपील के आधारों में से केवल आधार सं. 1 से 4 को न्यायनिर्णयित किया है तथा अधिनियम की धारा 143(1) के अधीन संसूचना के माध्यम से किए गए रु. 17,81,420/- के परिवर्धन से संबंधित आधार सं. 5

और 6 न्यायनिर्णयन से छूट गए है । अतः अधिकरण के आ.अ.सं. 157/इंदौर/2023 में आदेश दिनांक 19.01.2024 में त्रुटिसुधार की आवश्यकता है । अतः निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिकरण द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश को वापस लिया जाए तथा अपील के आधार सं. 5 और 6 को गुणागुण पर निर्णयित किया जाए । दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता के इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है।

4. हमने दोनो पक्षों को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है । हमने आ.अ.सं. 157/इंदौर/2023 में आदेश दिनांक 19.01.2024 के अवलोकन पर पाया कि निर्धारिती की उपरोक्त अपील को निर्णयित करते समय आधार सं. 5 और 6 न्यायनिर्णयित करना रह गये हैं । अतः न्याय के हित में, हम आ.अ.सं. 157/इंदौर/2023 में आदेश दिनांक 19.01.2024 को आधार सं. 5 और 6 को न्यायनिर्णयित करने के सीमित उद्देश्य से वापिस बुलाते है जिसके लिए रजिस्ट्री को इस अपील को पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 10.09.2024 को नियत करने का निदेश दिया जाता है तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि अपील सुनवाई की तिथि को दोनों पक्षों की उपस्थिति में खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है, अतः सुनवाई हेतु पृथक नोटिस प्रेषित नहीं किया जाएगा ।

5. परिणामतः, निर्धारिती द्वारा दाखिल विविध आवेदन स्वीकृत किया जाता है ।

यह आदेश दिनांक 23.08.2024 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम.बियाणी)	(विजय पाल राव)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 23.08.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल